न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील नम्बर 79/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00045)

1. किशन लाल पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
3. चिरंजीलाल पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
4. धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
5. कमला पुत्री स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
6. विमला पुत्री स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
7. निर्मला पुत्री स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम लवाण, रैगरान मोहल्ला, तहसील लवाण, जिला दौसा।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. नवल किशोर पुत्र मांगीलाल तथाकथित पुत्र परस्या
2. पूरणमल पुत्र मांगीलाल तथाकथित पुत्र परस्या (दौराने अपील मृतक)

2/1. श्रीमति लक्ष्मी देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री पूरणमल

2/2. राहुल पुत्र स्व0 श्री पूरणमल

2/3. विजय पुत्र स्व0 श्री पूरणमल

समस्त जाति रैगर, निवासी रैगरों का मोहल्ला, लवाण, तहसील लवाण, जिला दौसा।

2/4. श्रीमति हेमा पुत्री स्व0 श्री पूरणमल धर्मपत्नि श्री नवरतन कसौटिया, निवासी ग्राम पीपल खेडा, महवा, तहसील दौसा, जिला दौसा।

3. मीरा पुत्री परस्या
4. श्रीमति शांति पत्नी श्री सेवाराम
5. सुभाष पुत्र मेवाराम
6. हुक्मा पुत्र मेवाराम
7. नरेन्द्र पुत्र मेवाराम
8. उगन्ता पुत्री मेवाराम

   समस्त जाति रैगर, निवासी लवाण रैगरान मोहल्ला, तहसील लवाण, जिला दौसा।

9. श्रीमान तहसीलदार (भू–अभिलेख) तहसील लवाण, जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध तहसीलदार (भू–अभिलेख) तहसील लवाण, जिला दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 7/2015 पर पारित निर्णय दिनांक 09.02.2015 के संबध में।

उपस्थित :–

1. श्री मनीष पारीक, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री रोहित चतुर्वेदी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 5 से 7 अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 8 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

अपील नम्बर 82/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00049)

1. किशन लाल पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
3. चिरंजीलाल पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
4. धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
5. कमला पुत्री स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
6. विमला पुत्री स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
7. निर्मला पुत्री स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम लवाण, रैगरान मोहल्ला, तहसील लवाण, जिला दौसा।

– अपीलान्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाम

1. राजू पुत्र श्री कन्हैयालाल
2. कुलदीप पुत्र श्री कन्हैयालाल
3. जितेन्द्र पुत्र श्री कन्हैयालाल
4. शकुन्तला पुत्री श्री कन्हैयालाल
5. बीनापुत्री श्री कन्हैयालाल
6. कृष्णा पुत्री श्री कन्हैयालाल
7. श्रीमति शांति बेवा श्री कन्हैयालाल

   समस्त जाति रैगर, निवासी लवाण रैगरान मोहल्ला, तहसील लवाण, जिला दौसा।
8. श्रीमान तहसीलदार, तहसील लवाण, जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 26/2015 पर पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 एवं तहसीलदार (भू—अभिलेख) तहसील लवाण द्वारा ग्राम लवाण के विरासती नामान्तकरण संख्या 1381 पर पारित निर्णय दिनांक 20.02.2015 के संबध में।

उपस्थित :—

1. श्री मनीष पारीक, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री रोहित चतुर्वेदी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 व 7 की ओर से अनुपस्थित।
3. श्री पंकज खन्ना, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 व 6 की ओर से अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से उपस्थित।

<u>अपील नम्बर 84/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00046)</u>

1. किशन लाल पुत्र स्व0. श्री रामनारायण पुत्र परस्या
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
3. चिरंजीलाल पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
4. धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
5. कमला पुत्री स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
6. विमला पुत्री स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
7. निर्मला पुत्री स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या

   समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम लवाण, रैगरान मोहल्ला, तहसील लवाण, जिला दौसा।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. उदय चन्द पुत्र श्री आनन्दा
2. कमला पुत्री श्री आनन्दा
3. गुलाब पुत्री श्री आनन्दा
4. दुर्गा पुत्री श्री आनन्दा
5. मनभर पुत्री श्री आनन्दा

   समस्त जाति रैगर, निवासी लवाण रैगरान मोहल्ला, तहसील लवाण, जिला दौसा।
6. श्रीमान तहसीलदार, तहसील लवाण, जिला दौसा।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 27/2015 पर पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 एवं तहसीलदार (भू—अभिलेख) तहसील लवाण द्वारा ग्राम लवाण के विरासती नामान्तकरण संख्या 1247 पर पारित निर्णय दिनांक 20.02.2015 के संबध में।

उपस्थित :–

1. श्री मनीष पारीक, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री रोहित चतुर्वेदी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

अपील नम्बर 85/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00044)

1. किशन लाल पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
3. चिरंजीलाल पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
4. धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
5. कमला पुत्री स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
6. विमला पुत्री स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या
7. निर्मला पुत्री स्व0 श्री रामनारायण पुत्र परस्या

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम लवाण, रैगरान मोहल्ला, तहसील लवाण, जिला दौसा।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. नवल किशोर पुत्र मांगीलाल तथाकथित पुत्र परस्या
2. पूरणमल पुत्र मांगीलाल तथाकथित पुत्र परस्या (दौराने अपील मृतक)

2/1. श्रीमति लक्ष्मी देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री पूरणमल

2/2. राहुल पुत्र स्व0 श्री पूरणमल

2/3. विजय पुत्र स्व0 श्री पूरणमल

समस्त जाति रैगर, निवासी रैगरों का मोहल्ला, लवाण, तहसील लवाण, जिला दौसा।

2/4. श्रीमति हेमा पुत्री स्व0 श्री पूरणमल धर्मपत्नि श्री नवरतन कसौटिया, निवासी ग्राम पीपल खेडा, महवा, तहसील दौसा, जिला दौसा।

3. मीरा पुत्री परस्या
4. श्रीमति शांति पत्नी श्री सेवाराम
5. सुभाष पुत्र मेवाराम
6. हुक्मा पुत्र मेवाराम
7. नरेन्द्र पुत्र मेवाराम
8. उगन्ता पुत्री मेवाराम

समस्त जाति रैगर, निवासी लवाण रैगरान मोहल्ला, तहसील लवाण, जिला दौसा।

9. श्रीमान तहसीलदार (भू–अभिलेख) तहसील लवाण, जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 25/2015 पर पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 एवं तहसीलदार (भू–अभिलेख) तहसील लवाण द्वारा ग्राम लवाण के विरासती नामान्तकरण संख्या 1380 पर पारित निर्णय दिनांक 20.02.2015 के संबध में।

उपस्थित :–

1. श्री मनीष पारीक, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री रोहित चतुर्वेदी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 6 की ओर से अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 5, 7 व 8 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–18.07.2025

1. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपीलों में से अपील संख्या क्रमशः 79/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00045) उनवान किशनलाल बनाम नवलकिशोर तहसीलदार

(भू.अ.) लवाण जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.02.2015 के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारां 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है एवं अपील संख्या 82/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00049) उनवान किशनलाल बनाम राजू अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.2015 (नामान्तकरण संख्या 1381 दिनांक 20.02.2015 ग्राम लवाण) एवं अपील संख्या 84/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00046) उनवान किशनलाल बनाम उदयचन्द अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.2015 (नामान्तकरण संख्या 1247 दिनांक 20.02.2015 ग्राम लवाण) तथा अपील संख्या 85/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00044) उनवान किशनलाल बनाम नवलकिशोर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.2015 (नामान्तकरण संख्या 1380 दिनांक 20.02.2015 ग्राम लवाण) के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 27.04.2016 को प्रस्तुत की गई है। चूँकि उपरोक्त चारों अपीलों की विषयवस्तु, तथ्य एवं भूमि विवादग्रस्त एक ही होने के कारण उपरोक्त चारों अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई है एवं निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 नवलकिशोर व पूरणमल ने तहसीलदार लवाण, जिला दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम लवाण में जमाबन्दी संवत 2067-70 के खाता सं. 274 में अंकित भूमि किता 8 रकबा 2.03 है0 प्रार्थियों के पिता नाम दर्ज है। प्रार्थियों के पिता परस्या उर्फ परसराम पुत्र मांगीलाल उर्फ भगवान्या का देहान्त हो चुका है। जिसके वारिस हम तीन पुत्र मेवाराम, नवलकिशोर, पूरणमल व एक पुत्री मीरा है। हम तीनों भाईयों में से मेवाराम का देहान्त हो चुका है। जिसके वारिस तीन पुत्र सुभाष चन्द, उखमचन्द, नरेन्द्र हैं व एक पुत्री उगन्ता है। हम कई बार हल्का पटवारी लवाण व गिरदावर जी से मिले है लेकिन हल्का पटवारी ने हम लोगों के नाम से नामान्तकरण नहीं भर रहे हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है हल्का पटवारी लवाण को प्रार्थियों के नाम से नामान्तकरण खोलने के आदेश कर प्रार्थियों को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जिस पर तहसीलदार लवाण ने प्रकरण अन्तर्गत नियम 135(2) लैंड. रेकार्ड रूल्स बाबत् विरासत नामान्तकरण में दर्ज किया गया। तहसीलदार लवाण, जिला दौसा ने मृतक खातेदार परस्या पुत्र भगवान्या की जमाबंदी संवत 2067-70 के खाता नं0 274 में अंकित हिस्सा मुताबिक भूमि को उसके वारिसान शांति देवी पत्नि मेवाराम, सुभाषचंद्र, हुकमचंद्र, नरेन्द्र पुत्र मेवाराम एवं उगन्ता पुत्री मेवाराम हिस्सा 1/4 व नवलकिशोर, पूरणमल पि. परस्या हिस्सा 1/2 एवं मीरा पुत्री परस्या हिस्सा 1/4 अनुसार दर्ज करने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.02.2015 पारित किया गया।

तहसीलदार (भू.अ.) लवाण, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 09.02.2015 की पालना में तहसीलदार लवाण द्वारा नामान्तकरण संख्या 1381 दिनांक 20.02.2015 ग्राम लवाण व नामान्तकरण संख्या 1247 दिनांक 20.02.2015 ग्राम लवाण तथा नामान्तकरण संख्या 1380 दिनांक 20.02.2015 ग्राम लवाण तस्दीक किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के यहाँ अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.2015 द्वारा तीनों अपीलें प्रार्थना-पत्र दफा 96 सी.पी.सी. पर खारिज कर दी गयी।

3. तहसीलदार (भू.अ.) लवाण, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 09.02.2015 से एवं जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 26.05.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट किशन लाल पुत्र स्व. श्री रामनारायण पुत्र परस्या वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण, जिला दौसा के दिनांक 09.02.2015 निरस्त करने एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 26.05.2015 निरस्त करने तथा मृतक परस्या पुत्र भगवान्या (भोत्या) का विरासती नामान्तकरण अपीलार्थीगण के नाम खोले जाने व तस्दीक किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने

के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वंशावली अनुसार नोपाराम के दो पुत्र भीमा व भोत्या हुये। भीमा के एक पुत्र गंगश्रया हुआ जो नाओलाद फौत हुआ इसकी चल व अचल सम्पत्ति का मालिक इसका भाई परस्या पुत्र भोत्या हुआ। भोत्या पुत्र नोपाराम के एक पुत्र परस्या हुआ परस्या के एक पुत्र रामनारायण हुआ, रामनारायण के चार पुत्र किशनलाल, बाबूलाल, चिरंजीलाल, धर्मेन्द्र हुये एवं तीन पुत्री कमला, निर्मला व विमला हुई जो कि अपील में अपीलार्थीगण है एवं अपीलाधीन निर्णय के अन्तर्गत वर्णित आराजीयात में गंगश्रया पुत्र भीमा का 1/3 हिस्सा गंगश्रया के नाओलाद फौत होने पर इसका हक व 1/3 हिस्सा तथा इसकी चल व अचल सम्पत्ति का एक मात्र मालिक व स्वामी इसका भाई परस्या पुत्र भोत्या ही हुआ यानि परस्या पुत्र भोत्या का 2/3 हिस्सा रहा। परस्या पुत्र भोत्या की मृत्यु के पश्चात् इसका लड़का रामनारायण पुत्र परस्या 2/3 हक व हिस्से का कब्जे काश्तकार व खातेदार टिनेन्ट रहा तथा रामनारायण की मृत्यु हाल ही में सन् 2015 में होने पर इसके जायज वारिस अपीलार्थीगण रामनारायण पुत्र परस्या के द्वारा छोडी गई चल व अचल सम्पत्ति व अपीलाधीन निर्णय के अन्तर्गत आराजीयात के 2/3 हक व हिस्से के अपीलार्थीगण कब्जे काश्तकार खातेदार टिनेन्ट व स्वामी ही है। इन तथ्यों की बिना जांच किये ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह निर्णय न्याय व कानून के सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निर्णय मातहत अदालत निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाधीन निर्णय के अन्तर्गत वर्णित आराजीयात से रेस्पोडेन्टान से कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध व तालूक नहीं है तथा ना ही आराजीयात के सम्बन्ध में कोई हक व अधिकार ही हासिल होते है क्योंकि परस्या पुत्र भोत्या उर्फ आस्या (भगवान्या) के वंश के रेस्पोडेन्टान नहीं है ओर ना ही गौत्र के है। परस्या पुत्र भोत्या का गौत्र जलुथरिया है जबकि रेस्पोडेन्टान का गौत्र पिंगोलिया है। तथा इनकी वंशावली मुताबिक मांगू उर्फ मांगीलाल के एक पुत्र परस्या हुआ जिसकी मृत्यु सन् 2001 में हो चुकी है। परस्या पुत्र मांगीलाल के तीन पुत्र नवलकिशोर, मेवाराम, व पूरणमल एवं एक पुत्री मीरा हुई पुत्रों में मेवाराम की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसानों में मेवाराम की पत्नी शान्ति देवी, तीन पुत्र सुभाष, हुक्कमचन्द, नरेन्द्र है तथा एक पुत्री उगन्ता है। इससे साफ स्पष्ट है कि गंगश्रया पुत्र भीमा व परस्या पुत्र भोत्या उर्फ आश्या (भगवान्या) व रेस्पोडेन्टान एक वंशज के नही है और न ही एक गौत्र के है। परस्या पुत्र भगवान्या की आराजीयात से रेस्पोडेन्टान का कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध व तालुक नहीं है और न ही आराजीयात के सम्बन्ध में कोई कानूनन हक व अधिकार हासिल होते है बल्कि अपीलार्थीगण परस्या पुत्र भोत्या (भगवान्या) के जायज वारिस है। एवं परस्या पुत्र भोत्या द्वारा छोडी गई चल व अचल सम्पत्ति व आराजीयात के एक मात्र मालिक व स्वामी एवं कब्जे काश्तकार खातेदार अपीलार्थीगण ही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण ने इन तथ्यों की बिना जांच किये ही उक्त तथ्यों को इग्नोर करते हुये रेस्पोडेन्टान से साज कर उन्हें लाभांश पहुंचाने के उद्देश्य से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि न्याय व कानून के सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। परस्या पुत्र भोत्या उर्फ आस्या (भगवान्या) का विरासती नामान्तकरण खुलवाने बाबत नवलकिशोर, पूरणमल ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण के समक्ष दिनांक 15.01.2015 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि जमाबंदी खाता संख्या 274 लवाण में प्रार्थी के पिता परस्या उर्फ परसराम पुत्र मांगीलाल उर्फ भगवान्या का देहान्त हो चुका है। जिसके वारिस हम तीन पुत्र मेवाराम, नवल किशोर, पूरणमल एवं एक पुत्री मीरा है। हम तीनों भाईयों में मेवाराम की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस उसकी पत्नी शांतिदेवी व तीन पुत्र सुभाषचन्द, हुक्मचन्द, नरेन्द्र व एक पुत्री उगन्ता है। इसके बारे में हमने हल्का पटवारी, गिरदावर से कई मर्तबा निवेदन किया लेकिन विरासती नामान्तकरण नहीं खोला गया इसलिये हमारा विरासती नामान्तकरण खोला जावे। प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रार्थी नवलकिशोर, पूरणमल ने परस्या उर्फ परसराम की मृत्यु प्रमाण पत्र, मेवाराम का प्रमाण पत्र, संरपच ग्राम पंचायत लवाण द्वारा दिनांक 25.07.1998 का प्रमाण पत्र, व पंचायत रैगरान का प्रमाण पत्र पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाणने हल्का पटवारी को जांच कर कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये। जिसके सम्वन्ध में दिनांक 16.01.2015 को जांच रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण के समक्ष प्रस्तुत करते हुये एक रिपोर्ट भेजी गई कि "जमाबंदी में मृतक का नाम परस्या पुत्र भगवाना दर्ज है। जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र में परस्या पुत्र मांगीलाल अंकित है। मृतक के पिता का नाम अलग-अलग होने के कारण नामान्तकरण दर्ज नही किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाणने प्रकरण को धारा 135(2) राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज करते हुये कार्यवाही करने हेतु प्रार्थीगण को सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश दिये। जिन प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाणने मौखिक साक्ष्यों को आधार मानते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलाधीन निर्णय के अन्तर्गत परस्या पुत्र भोत्या आस्या (भगवान्या) एवं परसराम पुत्र मांगीलाल पृथक–पृथक दो व्यक्ति गांव में थे। जिनका अलग–अलग परिवार था एक कुटुम्ब के नही थे तथा दोनों का गौत्र भी अलग–अलग था। अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी परस्या पुत्र भोत्या उर्फ आस्या (भगवान्या) का गौत्र जलुथरिया है जिसके वारिसान अपीलार्थीगण है जो कि वार्ड न. 18 में निवास करते है तथा परसराम पुत्र मांगीलाल का गौत्र पिंगोलिया है जिनके वारिसान वार्ड न. 19 में निवास करते है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण ने दोनों व्यक्तियों को जिनकी वल्दियत अलग–अलग होने पर मौखिक गवाहान को आधार मानते हुये रेस्पोडेन्टान को लाभांश पहुँचाने के उद्देश्य से साज पूर्वक निर्णय पारित किया है जो कि न्याय व कानून के सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को न तो कोई विधिवत नोटिस दिया है और ना ही साक्ष्य सबूत लिये है और ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है। जब कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाणद्वारा प्रकरण के अन्तर्गत अपीलार्थीगण कोनोटिस देकर सुनवाई करते हुये साक्ष्य सबूत लिये जाकर समुचित निर्णय पारित करना चाहिए था।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण के समक्ष रेस्पोडेन्टान द्वारा प्रस्तुत गवाहन से न तो किसी प्रकार का क्रास एक्जामिनेशन किया गया है तथा रेस्पोडेन्टान की ओर से प्रस्तुत गवाहन के बयानों में परस्पर विरोधाभाष है। क्योंकि हल्का पटवारी एक तरफ तो अपनी रिपोर्ट में दोनों व्यक्तियों की वल्दियत अलग–अलग होना जाहिर करते है तथा दूसरी ओर अपने बयानों में परसराम पुत्र मांगीलाल व परस्या पुत्र भगवान्या को एक ही व्यक्ति मानते है। इससे साफ जाहिर है कि समस्त कार्यवाही अपीलार्थीगण के हक व हिस्से की है जो कि इसके पूर्वाधिकारी परस्या पुत्र भोत्या उर्फ आस्या (भगवान्या) की आराजीयात के हड़पने के उद्देश्य से एवं अपीलार्थीगण को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक जैरवार करने की नियत से यह साज पूर्वक कार्यवाही की गई है। ऐसी कार्यवाही अपीलार्थीगण के हक व अधिकारों को देखते हुए अवैध, प्रभावहीन, बेअसर व शून्य है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।अपीलाधीन निर्णय के अन्तर्गत निर्णित आराजीयात बाबत् अपीलार्थीगण द्वारा श्रीमान सहायक जिला कलक्टर महोदय, दौसा के न्यायालय में दावा घोषणा दुरुस्ती, इन्द्राजात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 118/2014 दिनांक 22.12.2014 को प्रतिवादीगण रामनारायण पुत्र प्रभात्या आदि के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है। क्योंकि रामनारायण के पिता प्रभात्या वगैरहा ने गंगश्रया पुत्र भीमा के 1/3 हक व हिस्से की आराजीयात को अवैधानिक रूप से अपने नाम कर ली जिसे दुरूस्त कराने हेतु एवं अपीलार्थीगण ने अपने नाम कराने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो कि विचाराधीन होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण ने इन तथ्यों की अनदेखी करते हुये रेस्पोडेन्टान को लाभांश पहुंचाने के उद्देश्य से 25 दिवस के अन्दर ही समस्त कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि न्याय व कानून के सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निर्णय मातहत अदालत निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं लैण्ड रिकार्ड रूल्स 118 से 121 की बिना पालना किये ही एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल निर्णय पारित किये जाने के कारण निर्णय मातहत अदालत न्यायोचित नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण द्वारा ग्राम लवाण के नामान्तकरण पर पारित निर्णय दिनांक 20.02.2015 से पिड़ित, असंतुष्ट व व्यथित होकर उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा के नामान्तकरण में अपील दिनांक 20.03.2015 को प्रस्तुत की थी। अपीलार्थीगण तहसीलदार लवाण के न्यायालय में विचाराधीन नामान्तकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत पक्षकार नही होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा अपील के संलग्न जैर दफा 96 सी.पी. सी. के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था जिस पर श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा ने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राज्य सरकार व अपीलार्थीगण के अभिभाष्यगणों की बहस सुनकर दिनांक 26.05.2015 को प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये तथा मूल अपील के बार में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नही किया गया कि अपील खारिज की गई है अथवा नही। सुयोग्य जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित उक्त निर्णय से अपीलार्थीगण पीड़ित व असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष सहवन से उक्त निर्णय के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत कर दी जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन निगरानी के अन्तर्गत दिनांक 16.03.2016 को यह आदेश पारित किया कि निगरानी दायर दिनांक 23.07.2015 से आज दिनांक तक मियाद की छूट प्रदान करते हुये राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन निगरानी इस स्तर पर विड्रा किये जाने के कारण खारिज किये जाने के आदेश दिये गये।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा उक्त शीर्षकीय प्रकरण पर व निगरानी पर अग्रिम कार्यवाही के बारे में अपीलार्थीगण ने दिनांक 19.04.2016 को ऑफिस में जाकर अपने अभिभाषक से पूछताछ की तो वकील साहब ने बताया कि निगरानी खारिज कर दी गई है। लेकिन मियाद बिन्दु पर समक्ष न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने तक की छूट दे दी गई है। तुम श्रीमान तहसीलदार के निर्णय व श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा व तहसीलदार लवाण द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण की नकले लेकर आओ मैनें राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की सत्य प्रतिलिपी मंगवाली है। क्योंकि सुयोग्य जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के यहाँ नामान्तकरण की नये सिरे से अपील पेश करनी है। अपीलार्थीगण अपने गांव चला गया तथा दिनांक 20.04.2016 को पुनः वकील साहब से मिला तथा जो कागजात अपीलार्थी के पास थे उसे वकील साहब को दिखाये वकील साहब ने अपीलार्थी किशनलाल को कहा कि मेरे पास भी राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की निगरानी व निर्णय आ गया है। तुम इन्हें लेकर दुसरे वकील साहब से मिलकर अपील तैयार कराकर पेश कराओ। जिस पर अपीलार्थीगण ने अपने वकील साहब को लेकर कलेक्ट्रेट जयपुर में गया वहॉ श्री दीनदयाल जी पारीक साहब से सम्पर्क किया तथा कागजात दिखाये तो वकील साहब ने कहा कि तीनों नामान्तकरण तहसीलदार के आदेश से भरे गये है। इसकी नकल लेकर आओ। जिस पर अपीलार्थी ने कहा कि मैनें नकले लेने हेतु तहसीलदार के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। जो नकले वकील साहब श्री सुनील शर्मा ने दी है उसे देखकर आप अपील तैयार कराओ तथा तहसील से भी निर्णयों की नकले मिलने पर उसे लेकर आ रहा हूँ उसको भी देखकर उस पर कार्यवाही करो क्योंकि हम लोग कम पढे लिखे है तथा कानून का हमें ज्ञान नही है। जो भी निर्णय के विरूद्ध कार्यवाही करनी हो सो आप ही करो तथा कागजात तैयार कराओ अग्रिम कार्यवाही करने हेतु श्री दीन दयाल जी पारीक को वकील मुकरर किया तथा दिनांक 21.04.2016 के नकल प्राप्त हुई नकल अपीलार्थी लेकर अपने गांव चला गया तथा दिनांक 22.04.2016 को समाज में मृत्यु हो जाने के कारण व दाह संस्कार में जाने के कारण वकील साहब से सम्पर्क नही कर पायें तथा दिनांक 23.04.2016 का शनिवार व दिनांक 24.04.2016 को रविवार का अवकाश होने के कारण दिनांक 25.04.2016 को जयपुर जाकर वकील साहब से कोर्ट में मिले व कागजात व निर्णय की नकले दी तथा सुयोग्य तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2015 की नकल को देखकर वकील साहब ने कहा की यह निर्णय जैर दफा 135(2) राज. लै. रे. एक्ट के तहत पारित किया गया है जिसके विरूद्ध भी पारित अपील श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के न्यायालय में होगी इसकी भी अपील तैयार कराकर पेश करनी है जिस पर अपीलार्थी ने कहा की इसकी भी अपील आप ही तैयार करो जिस पर वकील साहब ने कहा कि एक दो दिन में आ जाना अपील तैयार कराकर पेश कर दूगां। अपीलार्थी दिनांक 26.04.2016 को वकील साहब के कार्यालय में गया व अपील तैयार कराकर आज श्रीमान के समक्ष अपील इल्म दिनांक से एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2016 की पालनार्थ में अपील समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) लवाण, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 09.02.2015 एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 25/2015, 26/2015, 27/2015 पर पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.2015 एवं तहसीलदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

लवाण द्वारा नामान्तकरण संख्या 1247, 1380, 1381 पर पारित निर्णय दिनांक 20.02.2015 को निरस्त करके परस्या पुत्र भोत्या उर्फ आस्या (भगवान्या) के हक व हिस्से का विरासती नामान्तकरण अपीलार्थीगण के नाम खोले जाने व तस्दीक किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण, जिला दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2015 एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 25/2015, 26/2015, 27/2015 पर पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.2015 एवं तहसीलदार लवाण द्वारा नामान्तकरण संख्या 1247, 1380, 1381 पर पारित निर्णय दिनांक 20.02.2015 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2016 की जानकारी होते ही दिनांक 21.04.2016 को नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद खातेदार परस्या पुत्र भगवान्या, परसराम पुत्र मांगीलाल जाति रैगर निवासी लवाण जिला दौसा की विरासत के नामान्तकरण को लेकर है। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 नवलकिशोर व पूरणमल ने तहसीलदार लवाण, जिला दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण खोलने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम लवाण में जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता सं. 274 में अंकित भूमि किता 8 रकबा 2.03 है0 प्रार्थियों के पिता नाम दर्ज है। प्रार्थियों के पिता परस्या उर्फ परसराम पुत्र मांगीलाल उर्फ भगवान्या का देहान्त हो चुका है। जिसके वारिस हम तीन पुत्र मेवाराम, नवलकिशोर, पूरणमल व एक पुत्री मीरा है। हम तीनों भाईयों में से मेवाराम का देहान्त हो चुका है। जिसके वारिस तीन पुत्र सुभाष चन्द, उखमचन्द, नरेन्द्र हैं व एक पुत्री उगन्ता है। हम कई बार हल्का पटवारी लवाण व गिरदावर जी से मिले है लेकिन हल्का पटवारी ने हम लोगों के नाम से नामान्तकरण नहीं भर रहे हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है हल्का पटवारी लवाण को प्रार्थियों के नाम से नामान्तकरण खोलने के आदेश कर प्रार्थियों को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जिस पर तहसीलदार लवाण ने प्रकरण अन्तर्गत नियम 135(2) लैंड रेकार्ड रूल्स बाबत् विरासत नामान्तकरण में दर्ज किया गया। तहसीलदार लवाण, जिला दौसा ने मृतक खातेदार परस्या पुत्र भगवान्या की जमाबंदी संवत 2067–70 के खाता नं0 274 में अंकित हिस्सा मुताबिक भूमि को उसके वारिसान शांति देवी पत्नि मेवाराम, सुभाषचंद्र, हुकमचंद्र, नरेन्द्र पुत्र मेवाराम एवं उगन्ता पुत्री मेवाराम हिस्सा 1/4 व नवलकिशोर, पूरणमल पि. परस्या हिस्सा 1/2 एवं मीरा पुत्री परस्या हिस्सा 1/4 अनुसार दर्ज करने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.02.2015 पारित किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों एवं रिकॅार्ड निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दौसा की निर्वाचक नामावली 1988 भाग संख्या 100 के पृष्ठ संख्या 06 पर क्र.सं. 540 पर परसराम पुत्र मांगू, परिवार कार्ड वर्ष 2000–2001–2022 के कार्ड संख्या 2315 में रामनारायण पुत्र परसाराम रैगर अंकित है। नामान्तरकरण संख्या 1380 ग्राम लवाण तहसील लवाण जिला दौसा में परस्या पुत्र भगवान्या जाति रैगर व रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत खटुपुरा पं.स. सवाई माधोपुर के द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी दिनांक 06.08.2015 परस्या पुत्र भोत्या रैगर मृत्यु दिनांक 21.07.1969 एवं रजिस्ट्रार लवाण जिला दौसा द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी दिनांक 13.06.2024 परसराम रैगर पुत्र मांगीलाल रैगर मृत्यु दिनांक 25.12.2001 अंकित होना, भूप्रबन्ध (सैटिलमेन्ट) विभाग खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) ग्राम लवाण, तहसील दौसा जिला दौसा सम्वत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2010–2022 में क्र.सं. 374 खाता नम्बर 391 के अनुसार परसा वल्द भोत्या, कोशदा वल्द पेमा, गंगश्रया वल्द भीमा कौम रैगर के खसरा नम्बर 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1080, 1081, 1082, 1083 कुल किता 10 कुल रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा अंकित है जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार जमाबन्दी/खतौनी ग्राम लवाण तहसील लवाण जिला दौसा सम्वत 2067–2070 में नया क्रम संख्या 274 खाता संख्या 267 के अनुसार परस्या पुत्र भगवान्या, राचन्द, मूधर, फत्या पिता कुशल्या, आनन्दा पुत्र गंगल्या, रामनारायण, रामस्वरूप पिता प्रभात्या, मोता बेवा प्रभात्या, कन्हैयालाल, ओमप्रकाश, रामरतन पिता गंगाबक्स मु0 नाथी बेवा बाबूलाल, अशोक पुत्र बाबूलाल कौम रैगर के हाल खसरा नम्बर 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4376, 4378 कुल किता 8 कुल रकबा 2.03 हैक्टयेर अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम लवाण में परस्या पुत्र भोत्या रैगर, परसराम रैगर पुत्र मांगीलाल रैगर दोनों अलग–अलग व्यक्ति हैं। परस्या की वल्दीयत में परिवर्तन होने से प्रकरण संदेहास्पद प्रतीत होता है तथा कूटरचना किये जाने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार चूंकि भूमिधारक होता है। इसलिये तहसीलदार का यह दायित्व भी है कि यदि नामान्तरकरण में कोई संदेह अथवा कूटरचना जाहिर होती है तो जॉच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें किन्तु प्रकरण में तहसीलदार लवाण द्वारा परस्या पुत्र भोत्या रैगर एवं परसराम रैगर पुत्र मांगीलाल रैगर के वारिसान के सम्बन्ध में कोई विस्तृत जांच, विवेचनात्मक एवं निष्कर्षात्मक टिप्पणी अपने निर्णय में अंकित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) लवाण जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.02.2015 पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) लवाण जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.02.2015 को निरस्त किया जाता है व अपील संख्या 82/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00049) उनवान किशनलाल बनाम राजू अधीनस्थ जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.2015 (नामान्तकरण संख्या 1381 दिनांक 20.02.2015 ग्राम लवाण) एवं अपील संख्या 84/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00046) उनवान किशनलाल बनाम उदयचन्द अधीनस्थ जिला कलक्टर दौसा के के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.2015 (नामान्तकरण संख्या 1247 दिनांक 20.02.2015 ग्राम लवाण) तथा अपील संख्या 85/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00044) उनवान किशनलाल बनाम नवलकिशोर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.2015 (नामान्तकरण संख्या 1380 दिनांक 20.02.2015 ग्राम लवाण) अपीलें स्वीकार की जाती है। चूंकि तहसीलदार (भू.अ.) लवाण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2015 निरस्त कर दिये जाने से तहसीलदार (भू.अ.) लवाणं जिला दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2015 की पालना में तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 1381,1247 एवं 1380 ग्राम लवाण दिनांक 20.12.2015 स्वतः ही निरस्त हो चुके हैं। उन्हें निरस्त समझा जावे। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) लवाण जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि परस्या पुत्र भोत्या रैगर एवं परसराम रैगर पुत्र मांगीलाल रैगर दोनों एक ही व्यक्ति है अथवा नहीं ? साथ ही इनके वारिसान की जांच कर एवं उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) लवाण जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.02.2015 को निरस्त किया जाता है व अपील संख्या 82/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00049) उनवान किशनलाल बनाम राजू अधीनस्थ जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.2015 (नामान्तकरण संख्या 1381 दिनांक 20.02.2015 ग्राम लवाण) एवं अपील संख्या 84/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00046) उनवान किशनलाल बनाम उदयचन्द अधीनस्थ जिला कलक्टर दौसा के के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.2015 (नामान्तकरण संख्या 1247 दिनांक 20.02.2015 ग्राम लवाण) तथा अपील संख्या 85/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00044) उनवान किशनलाल बनाम नवलकिशोर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.2015 (नामान्तकरण संख्या 1380 दिनांक 20.02.2015 ग्राम लवाण) अपीलें स्वीकार की जाती है। चूंकि तहसीलदार (भू.अ.) लवाण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2015 निरस्त कर दिये जाने से तहसीलदार (भू.अ.) लवाण जिला दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2015 की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पालना में तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 1381,1247 एवं 1380 ग्राम लवाण दिनांक 20.12.2015 स्वतः ही निरस्त हो चुके हैं। उन्हें निरस्त समझा जावे। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) लवाण जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि परस्या पुत्र भोत्या रैगर एवं परसराम रैगर पुत्र मांगीलाल रैगर दोनों एक ही व्यक्ति है अथवा नहीं ? साथ ही इनके वारिसान की जांच कर एवं उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर